भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 111

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

.....

ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और अपरदन

111. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 28 फरवरी, 2022 को जारी की गई आईपीसीसी की नई रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की घटनाओं में होने वाली संभावित वृद्धि को सरकार के दीर्घकालिक उपायों में ध्यान में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ब्रह्मपुत्र नदी से वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष कुल कितनी भूमि का अपरदन हुआ है; और

(घ) ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के गांवों और उनमें रहने वाले लोगों की वर्ष 2017 से वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) और (ख): संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा राज्य के अंतर्गत आने वाली प्राथमिकता के अनुसार स्वयं के संसाधनों से नियोजित, अनवेषित और कार्यान्वित की जाती है। केंद्र सरकार राज्यों को केवल वह सहायता प्रदान करती है जो प्रकृति में तकनीकी, परामर्शी, प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनीय होती है। ब्रह्मपुत्र के बेसिन और उसकी सहायक नदियों का मुख्य भाग असम राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। असम सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग ने दिनांक 28 फरवरी, 2022 को जारी इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाईमेट चैंज (आइपीसीसी) की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तथापि, विभाग राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिश के अनुसार बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है और वर्ष 1954 से तटबंधन प्रणाली और कटाव सुरक्षा कार्यों के निर्माण के माध्यम से 31.50 लाख हेक्टेयर के बाढ़ प्रवण क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग को उचित सुरक्षा प्रदान करने में योग्य है। विभाग ने अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए गैर-अवसंरचनात्मक उपायों जैसे बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का आरंभ किया है।

(ग) और (घ): असम सरकार द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा कटाव के कारण वर्ष 2000 से 2020 तक 28 जिलों में भूमि कटाव और प्रभावित परिवारों का विवरण नीचे दिया गया हैः

भूमि कटाव	प्रभावित परिवारों की संख्या
52,425.77 हेक्टेयर	65,799

*****